

प्रेषक,

रमेश चन्द II,  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01,  
आजमगढ़।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,  
जनपद आजमगढ़।

विषय:-

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension)/ एडमिन ए अनुभाग  
दिनांकित 16.07.2024 एवं शासनादेश संख्या 14/2024/सा०-3-243/दस-2024/301(1)  
2024 दिनांकित 28 जून, 2024 अन्तर्गत पुरानी पेंशन चयन विकल्प पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में


महोदय,

- सादर निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 17.07.2006 को नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-3015/II-4-06-32(1)/2001 T.C. 1, दिनांकित 17.07.2006) से हुई थी।
- प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं० -1341/DR(S)/2006 दिनांकित 24.07.2006 के अनुक्रम में दिनांक 29.07.2006 को जनपद देवरिया में अपर सिविल जज (जू०डि०) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।
- प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।
- प्रार्थी द्वारा शासनादेश सं० -20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अपना विकल्प पत्र प्रेषित किया जा रहा है।
- अस्तु श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु विकल्प पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर!

दिनांक- सितम्बर 18, 2024

भवदीय

  
(रमेश चन्द-II) 18.9.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01,  
आजमगढ़।

संलग्नक:-  
विकल्प पत्र।

Office of the District Judge, Azamgarh  
Letter No 1589/2 Date 18.09.2024  
Forwards for information and necessary action  
District Judge  
Azamgarh

विकल्प पत्र

1. नाम.....रमेश चन्द II
2. वर्तमान पदनाम.....अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01, आजमगढ़
3. वेतनमान.....रु० 1,67,920/-
4. वर्तमान विभाग का नाम.....न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम  
नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति  
जारी करने वाले विभाग का नाम.....न्याय विभाग
6. विज्ञप्ति की तिथि.....ए-2/ई-1/2003 रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर, 2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि.....17.07.2006
8. योगदान की तिथि.....29.07.2006
9. जन्मतिथि.....15.01.1974
10. सेवानिवृत्ति की तिथि.....31.01.2034


मैं रमेश चन्द II पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राम ललित शासनादेश संख्या-14/2024/ सा-3-243/दस-2024/301(1)/ 2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

  
18.9.2024  
(रमेश चन्द-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01,  
आजमगढ़।

घोषणा पत्र

मैं रमेश चन्द II, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01, आजमगढ़, यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

  
18.9.2024  
(रमेश चन्द-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01,  
आजमगढ़।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती रमेश चन्द II, पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० कोर्ट नं०-01, आजमगढ़, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

  
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति